1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo--- *Dated*---30/10-2015---

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Dobagrarah, Dhari, Madhya and Raitoli motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Dobargarh, Dhatiyadhunga, Dhari, Madhya and Taitoli villages in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.425 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 30-10-2015

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal जिलाधिकारी बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.425 .है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 30-10-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर जिलाधिकारी
मुहर बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के लिए 2.425 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के लिए 2.425 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के लिए 2.425 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर
जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबागड़ा धारी–मध्या मोटर मार्ग का निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति - कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत रावतसेरा–डोबागड़ा–धारी–मध्या मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.646 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.427 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.352 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.425 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री रचक सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती परुली देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, दिगोली	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रावतसेरा–डोबागड़ा–धारी–मध्या मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.425 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत रावतसेरा–डोबागड़ा–धारी–मध्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबागड़ा धारी–मध्या मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी-II
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में रावतसेरा–डोबागड़ा–धारी–मध्या मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.646 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.427 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.352 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.425 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारी-II द्वारा दिनांक 21/8/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारी-II एवं तोक धारी-II (डोबा(ग्रा), मध्या, [illegible]) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/ [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 31-8-15
क्षेत्र धारी-II
ग्राम सचिव वि0 ख0 व जनपद-बागेश्वर

जानकी देवी
ह0/
प्रधान
ग्राम पंचायत धारी II ग्राम प्रधान
वि0ख0/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबागड़ा धारी–मध्या मोटर मार्ग का निर्माण।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत विलोली
वि० ख० बागेश्वर

सरपंच
वन पंचायत धारी
जिला– बागेश्वर

दिनाक 21/8/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारी-II

प्रधान
ग्राम पंचायत धारी
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	B S Rathaur	[illegible]
2	KUNDAN RAWAL	कुन्दन रावल
3	GOPAL SINGH RATHORE	गोपालसिंह
4	LAXMAN SINGH RATHORE	-
5	GUSAI SINGH RATHORE	गुसाईसिंह
6	Mohit Singh Rawal	Mohit
7	YOGI Singh Rawal	[illegible]
8	Gopal Singh [illegible]	गोपाल [illegible]
9	Jeewan Singh Bora	[illegible]
10	Vikram Singh Mehta	[illegible]
11	श्रीमती पुष्पा देवी W/O Govind Singh	[illegible]
12	बलवन्त सिंह मनी मेहता	पुष्पा देवी
13	योगेश रावल	Balwant Singh Mehta
14	कुन्दन सिंह रावल बंगारी	[illegible]
15	मोहन सिंह मेहता	[illegible]
16	लक्ष्मण सिंह रावल बंगारी	[illegible]
17	गणेश सिंह [illegible]	Laxman singh Rawal
18	नन्दन सिंह [illegible]	गोपाल सिंह [illegible]
19	जानकी देवी	[illegible]
20	दीपक मेहता	[illegible]

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबागड़ा धारी–मध्या मोटर मार्ग का निर्माण।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत ...
वि० ख० बागेश्वर

सरपंच
वन पंचायत धारी (रावतसेरा)
जिला– बागेश्वर

दिनाक 21/8/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

प्रधान
ग्राम पंचायत धारी II
वि०ख०/जिला–बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत धारी-II

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	B S Rathore	[signature]
2	Kundan Rawal	
3	जानकी देवी	
4	योगेश रावल	जानकी देवी
5	मोहित रावल	[signature]
6	बलवन्त सिंह कार्की	Mohit
7	Jeewan Singh Bora	Balwant Singh Karki [signature]
8	Vikram Singh Mehta	[signature]
9	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
10	मोहन सिंह मेहता	[signature]
11	पुष्कर सिंह रावल	पुष्कर सिंह
12	मोहन मेहता	[signature]
13	लक्ष्मण सिंह रावल	Laxman Singh Rawal
14	गणेश सिंह कार्की	गणेश सिंह
15	नन्दा सिंह कार्की	[signature]
16	दीपक सिंह मेहता	दीपक सिंह

1.6
प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिनगड़ी (तोक रैतोली)
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.646 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.427 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.352 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.425 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिनगड़ी द्वारा दिनांक 25.08.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पं० बिनगड़ी के तोक रैतोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

B. Pant
ह0 /
ग्राम सचिव

पूरनसिंह बोरा
ह0 /
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 25-08-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भिनगड़ी (तोक रैंतोली)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री जीबानन्द जोशी S/o स्व० तारादत्त जोशी	नि० जीबानन्द
2-	" अम्बादत्त जोशी S/o स्व० घनानन्द जोशी	अम्बादत्त जोशी
3-	" तारादत्त जोशी S/o स्व० गौरीदत्त जोशी	तारादत्त
4-	" त्रिलोचन जोशी S/o स्व० केशवदत्त जोशी	त्रिलोचन जोशी
5-	" नन्दाबल्लभ जोशी S/o स्व० पुरुषोत्तम जोशी	नन्दाबल्लभ जोशी
6-	श्रीमती कुन्ती देवी W/o स्व० कान्तिबल्लभ	कुन्ती देवी
7-	श्रीमती कमला देवी W/o स्व० गणेश दत्त जोशी	कमला देवी
8-	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी S/o स्व० देवीदत्त	प्रकाशचन्द्र
9-	श्रीमती द्रोपती देवी W/o श्री शंकरदत्त	द्रोपती देवी
10-	श्रीमती लीला देवी W/o श्री जीबानन्द	नि- लीलादेवी
11-	" मोहनी देवी W/o श्री अम्बादत्त	नि. मोहनीदेवी
12-	श्री कृपालदत्त भट्ट S/o स्व० कमलापति भट्ट	कृपालदत्त
13-	" रमेशचन्द्र भट्ट S/o स्व० देवीदत्त भट्ट	रमेशचन्द्र
14-	श्री गोकुलराम S/o श्री दीवानीराम	Gokal Ram
15-	" मोहनराम S/o स्व० भवानीराम	मोहनराम
16-	" पूरनराम S/o स्व० भवानराम	पूरनराम

[signature]

ग्राम विकास अधिकारी

जनपद ...

पूरनसिंह बोरा

प्रधान

ग्राम पंचायत भिनगड़ी

जनपद ...